न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 53/2021–22

धर्मा पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा–पंडेरी

–: आदेश :–

17.02.2023

वर्तमान प्रक्रिया मौजा–पंडेरी नं0–29P के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत नियुक्ति हेतु प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर का पत्रांक–163/रा0, दिनांक–08.03.2022 एवं पत्रांक–100/रा0 दिनांक–13.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–पंडेरी नं0–29P बेचिरागी/प्रधानी मौजा है। राजस्व अभिलेख पंजी–II में दुला पहाड़िया प्रधान का नाम दर्ज है, जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रधानी पद रिक्त है, जिसके लिए आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–एटरो पहाड़िया के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। वंशावली के आधार पर आवेदक धर्मा पहाड़िया अंतिम मृत प्रधान दुला पहाड़िया का परपोता है। आवेदक धर्मा पहाड़िया को प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है। पूर्व प्रधान के अन्य वंशज एटोरी पहाड़िन, पिता–मैसा पहाड़िया ने शपथ पत्र सं0–4378 दिनांक–16.02.2023 के द्वारा धर्मा पहाड़िया को ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु अनापत्ति दाखिल किया गया है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा पूर्व प्रधान के अन्य वंशज द्वारा अनापत्ति दाखिल करने एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–पंडेरी नं0–29P का प्रधान धर्मा पहाड़िया को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

17.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

17.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Scan
Bande Kumar Singh
Ad
28/03/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:03:25 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.